<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 29.03.2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.03.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें के अभियुक्त को 06 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”</u>

दिनांक 28.03.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्डा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 459/2003 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त अमिताभ उर्फ बुद्धू पुत्र विक्रमा यादव निवासी नारी पचदेवरा थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर को धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट 06 वर्ष साधारण कारावास तथा 5,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

<u>2. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर 02 नफर अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13000/- रू0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”</u>

दिनांक 28.03.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/2012 धारा 323/34,504, 304/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण 1. कलामुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान 02. फारूक पुत्र कलामुद्दीन निवासीगण सिहानी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को धारा 323/34 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/-रू0 अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/-रू0 का

अर्थदण्ड , धारा 304/34 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड, की सजा से दण्डित किया गया।

<u>3. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।</u>

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 26.03.2026 को उक्त बाल अपचारी द्वारा वादी की 06 वर्षीय पुत्री के सांथ बलात्कार करनें के सम्बन्ध मे थाना नन्दगंज पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में नामजद बाल अपचारी को थाना नन्दगंज क्षेत्रांतर्गत उसके घर से नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 किशोर न्यायालय भेजा जा रहा है ।

<u>4. थाना रेवतीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 30/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्र0नि0 राजू दिवाकर ,उ0नि0 आबिद अली, मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 30/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर सम्बन्धित अभियुक्त अभि0 राजकुमार राजभर पुत्र नन्हकू राजभर नि0ग्राम नवली थाना रेवतीपुर गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को उसके घर ग्राम नवली थाना रेवतीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियक्तः-

1.अभि0 राजकुमार राजभर पुत्र नन्हकू राजभर नि0ग्राम नवली थाना रेवतीपुर गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 30/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

<u>5. थाना सैदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 95/2026 धारा 105 बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.03.2026 को उ0नि0 वासदेव प्रसाद मय हमराह द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर मु0अ0स0 95/2026 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित फरार चल रहे वांछित अभियुक्त निजाम अहमद पुत्र स्व वसीर अहमद को बबुरहनी पुलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अभियुक्त निजाम अहमद पुत्र स्व वसीर अहमद निवासी म0नं0 A- 40/3 सरैया नियर पुलिस चौकी सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र करीब 36 वर्ष

अपराधिक इतिहासः

1 मु0अ0स0 95/2026 धारा 105 बीएनएस थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर